File No.9-9099/148/2023- -9

संख्या- 55 /2023/ R.F -2158/004-E-1728110

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
1. नगर पालिका परिषद, कर्नलगंज, जनपद-गोण्डा ।
2. नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद जनपद- संतकबीरनगर ।
3. नगर पालिका परिषद रसडा, जनपद- बलिया ।
4. नगर पालिका परिषद देवरिया जनपद- देवरिया ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या -37 मे ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 424/न0प0परि0कर्न0/2023-24, दिनांक- 07.07.2023, पत्रांक-न0पा0 2023-24, दिनांक रहित, पत्रांक- 155(2)/21-बी/202 , दिनांक- 25.02.2023 पत्रांक-422/न0पा0प0बलिया/2023-24 , दिनांक- 19.07.2023 तथा पत्रांक- 003/निर्माण/2023-24 , दिनांक-06.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, जनपद-गोण्डा, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद जनपद- संतकबीरनगर, नगर पालिका परिषद रसडा, जनपद- बलिया तथा नगर पालिका परिषद देवरिया, जनपद- देवरिया को अनुदान सं0-37 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत धनराशि **रू0 क्रमशः 198.90 लाख 136.26लाख , रू0 31.02 लाख तथा रू0 197.75 लाख** अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, जनपद-

गोण्डा, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद जनपद- संतकबीरनगर, नगर पालिका परिषद रसडा, जनपद- बलिया तथा नगर पालिका परिषद देवरिया, जनपद- देवरिया द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल प्राक्कलित धनराशि **रू0 563.93 लाख** पर सम्यक् विचारोपरान्त **रू0 562.91 लाख (रूपये पांच करोड़ बासठ लाख इक्यानवे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रू0 281.45 लाख** (**रूपये दो करोड इक्यासी लाख पैतालीस हजार मात्र**) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-37 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	निकाय/जनपद का नाम	मदकार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत 50 प्रतिशत धनराशि
1	**नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, जनपद-गोण्डा**	1. नई बाजार पुलिया से तहसील मार्ग लखनऊ गोण्डा मार्ग पर सी0सी0 रोड व इण्टरलॉकिंग तथा नाला निर्माण कार्य। 2. हासिम के घर से लखनऊ-गोण्डा मार्ग तक सी0सी0 इण्टरलॉकिंग व नाला निर्माण का कार्य। 3. नगर पालिका परिषद कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत प्रकाश व्यवस्था हेतु 09 नग हाईमास्ट मय स्थापना सहित कार्य ।	84.68 63.70 50.52		
		योग	**198.90**	**198.90**	**99.45**

2	**नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद जनपद- संतकबीरनगर**	1. मोहल्ला औद्योगिक नगर में मायाराम के मकान से गोरख चौरसिया के मकान मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । 2. मोहल्ला औद्योगिक नगर में श्रवण सिंह के मकान से सुबाष चौहान मकान मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । 3. मोहल्ला औद्योगिक नगर में शकुन्तला के मकान से मनीष सिंह के मकान मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । 4. मोहल्ला औद्योगिक नगर में विष्णु पाण्डेय के मकान से होते हुए योगेश त्रिपाठी के मकान मार्ग तक इण्टरलॉकिंग सडक निर्माण कार्य ।	39.47 39.20 36.81 20.78		
		योग	**136.26**	**136.26**	**68.13**
3	**नगर पालिका परिषद रसडा , जनपद- बलिया ।**	1. वार्ड नं0- 03 में ग्लोबनाईज पोल सहित एल0ई0डी0 लाइट का कार्य । 2. वार्ड नं0- 05 में ग्लोबनाईज पोल सहित एल0ई0डी0 लाइट का कार्य । 3. वार्ड नं0- 10 में ग्लोबनाईज पोल सहित एल0ई0डी0 लाइट का कार्य ।	15.46 10.34 5.22		
		योग	**31.02**	**30.00**	**15.00**

4	**नगर पालिका परिषद देवरिया जनपद- देवरिया**	1. वार्ड नं0-10 कृष्ण नगर में सोनू नाऊ के सैलून से शम्भू नाथ मिश्र के घर तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य। 2. वार्ड नं0-10 कृष्णानगर में श्री महेन्द्र गुप्ता के मकान से श्रीमती गीता यादव, स्व सीताराम चौरसिया, श्री फेकू सिंह, प्रेमचन्द्र बरनवाल के मकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य। 3. वार्ड नं0-13 में शंकर मैरेज हाल के पूर्वी कोने से जीतेन्द्र के घर होते हुए शंकर मैरेज हाल के पश्चिमी कोने तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। 4. वार्ड नं0-15 में मुन्नी गुप्ता के घर से मुन्ना राय के घर होते हुए रवि सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण/मरम्मत कार्य। 5. वार्ड नं0-16 में हनुमान त्रिपाठी के मकान से पारिजात लॉन होते हुए मन्टू के मकान तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नाली मरम्मत/निर्माण कार्य। 6. वार्ड नं0-16 में देव शुक्ला के मकान से रामाशंकर मिश्र के मकान तक सी0सी0 रोड उच्चीकरण व दोनों तरफ नाली मरम्मत/निर्माण कार्य। 7. वार्ड नं0-02 में श्री दिनेश शुक्ला के घर से मेन रूद्रपुर रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.35 37.48 20.72 23.22 26.37 34.66 39.95		
		योग	**197.75**	**197.75**	**98.87**
		कुल योग	**563.93**	**562.91**	**281.45**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह धनराशि संबंधित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तरर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यक वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्लेशा बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्यापय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं यथा निकाय बोर्ड की बैठक में पारित योजना प्रस्ताव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आगणन,

वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तकरदायी होंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।

(10) विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीकयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्ययकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।

(17) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय वहाँ के जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(18) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो यह भी वहाँ के जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(19) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 2/2023/ बी- 1-227/ दस- 2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च , 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) ' सैंटेज चार्जेज , निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन ' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ ए- 2-60/ दस- 2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई , 2023 तथा शासनादेश संख्या- 02/2023/ ए- 2-66/ दस- 2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई , 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अत: शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(23) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(24) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक- 31.03.2024 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

(25) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियंता उत्तरमदायी होंगे।

(26) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(27) उक्त स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(28) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,81,45,000 (रुपये दो करोड़ इक्यासी लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-237-X-2023-24 , दिनांक- 09 **अक्टूबर**, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या- 55/2023/ R.F -2158/004-E-1728110, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, गोण्डा, संतकबीरनगर, बलिया तथा देवरिया।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. वेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-10/10/2023

प्रेषण संख्या:- 55
आवंटन आदेश संख्या:- 001-55-2023-RF2158-004-E-1728110
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बलिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 1500000	1500000 1500000
2	देवरिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9887000 26413000	9887000 26413000
3	गोण्डा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9945000 9945000	9945000 9945000
4	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6813000 6813000	6813000 6813000
	योग	वर्तमान प्रगामी	28145000 44671000	28145000 44671000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ इक्यासी लाख पैंतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ छियालीस लाख इकत्तर हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव